तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 7275 / 2016 / चुरू** **नत्थूराम व अन्य बनाम जुहाराराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अशोक नाथ योगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री अजीत लोढ़ा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

——

निर्णय

दिनांकः–03.10.2023

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 3 / 2016 बउनवानी जुहाराराम बनाम नत्थूराम में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सालासर एवं ग्राम गुडावड़ी में स्थित वादग्रस्त आराजियात के संबंध में परीक्षण न्यायालय के समक्ष तीन वाद क्रमशः जुहाराराम बनाम केशरदेवी व अन्य, पन्नालाल बनाम जुहाराराम एवं केशरदेवी बनाम जुहाराराम व अन्य प्रस्तुत हुए । उपरोक्त वर्णित तीनों ही वाद के वादीगण ने अपने वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए । परीक्षण न्यायालय ने तीनों प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रकरणों को समेकित कर बाद सुनवाई दिनांक 12.06.2007 को आदेश पारित किए कि ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त खेत रोही सालासर में पक्षकार जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार व कब्जे में एक दूसरे की कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करेगें, यथास्थिति बनाये रखेंगे । ग्राम गुडावडी की रोही में स्थित वादग्रस्त आराजी के संबंध में जुहाराराम (प्रार्थना पत्र संख्या 64 / 05 का अप्रार्थी) को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जाता है कि ताफैसला मूल वाद उक्त भूमि का किसी प्रकार से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 7275 / 2016 / चुरू** **नत्थूराम व अन्य बनाम जुहाराराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विक्रय, हस्तातंरण, बेदखली आदि नहीं करे व यथास्थिति बनाये रखी जावे । उक्त तीनों प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 12.06. 2007 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ने एक ही अपील विद्वान भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के पेश की । अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.07.2007 के द्वारा खारिज कर दिया । उक्त आदेश दिनांक 23.07.2007 के लगभग 8–9 वर्ष उपरांत अप्रार्थी संख्या 1 ने पुनः एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पक्षकारान की बहस सुनकर आदेश दिनांक 16.08.2016 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की । भू–प्रबंध अधिकारी एवं पेदन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के उक्त निर्णय दिनांक 16.08.2016 से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की है । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर का आदेश न्याय, नियम एवं कार्यवाही मिसल पर उपलब्ध तथ्यों एवं शहादत के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है । अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तीनों दावों में पृथक–पृथक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत हुए थे तथा परीक्षण न्यायालय ने उक्त तीनों प्रार्थना पत्रों को पृथक–पृथक दर्ज रजिस्टर्ड कर तीनों को पृथकता से ही निर्णित किए परंतु सुविधा की दृष्टि से तीनों का उनवान एक साथ लिखकर ही निर्णय पारित कर दिया। ऐसी स्थिति में कानूनन परीक्षण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध तीन अपीलें प्रस्तुत होनी चाहिए परंतु अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा तीन आदेशों के विरूद्ध एक ही अपील मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जो पोषणीय नहीं था। अपीलीय न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्यात्मक एवं विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर दिया कि जब उन्होंने अपने समक्ष जुहाराराम के द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों पक्षकारान को सुनकर उसे आदेश दिनांक 23.07.2007 के द्वारा निरस्त कर दिया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 7275 / 2016 / चुरू** **नत्थूराम व अन्य बनाम जुहाराराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिसके विरूद्ध आगे कोई चाराजोही नहीं की जाने के कारण उक्त आदेश अंतिम हो गया तो ऐसी सूरत में उसी विचाराधीन अपील में जुहाराराम के द्वारा पुनः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होकर रेस ज्यूडिकेटा के विधिक सिद्धांत से बाधित था जिसमें अपीलीय न्यायालय ने निर्णय पारित करके त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश एवं उसकी आड़ में मिलीभगत से कागजों में वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लेने की निर्मित रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय जेर निगरानी पारित करने में त्रुटि कारित की है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने मात्र प्रकरण को इस आधार पर निर्णित किया कि जहां पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन हो तो ऐसी सूरत में धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही पोषणीय नहीं है परंतु परीक्षण न्यायालय के द्वारा जारी स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का गलत सहारा लेकर बिना कब्जे की स्थिति तय किए सरसरी तौर पर कागजों में जुहाराराम को कब्जा सौंपने की रिपोर्ट निर्मित कर दी जो कानूनन अविधिक थी। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 की माता क्रमशः केसरदेवी एवं नारायणी के पिता कुम्भाराम जो वादग्रस्त भूमि के खातेदार है से वादग्रस्त भूमि विरासत के आधार पर क्लेम कर रही है इसके विपरीत जुहाराराम स्वयं को कुम्भाराम का तथाकथित पुत्र होना बताकर अपने तथाकथित दादा बल्लूराम से वादग्रस्त भूमि क्लेम कर रहा है तथा इसी के साथ एडवर्स पजेशन के आधार पर स्वयं को वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना बता रहा है। उक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत् आदेश पारित किया परंतु अपीलीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के तौर पर जो आदेश जेर निगरानी पारित किया है वह अविधिक होने से निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्ति के निवेदन को निर्णित नहीं किया वरन मात्र सैद्धांतिक बातें अंकित करके कि रिसीवर नियुक्ति कठोर उपचार है प्रार्थीगण के निवेदन को दरकिनार कर दिया। कानून में किसी वादग्रस्त भूमि के खतरे में और इनमिडियो होने के कारण उसको सुरक्षित रखने के लिए ही अधिनियम में रिसीवर नियुक्ति संबंधी प्रावधान प्रावधित किए गए है तथा न्यायालय का विधिक दायित्व होता है कि वह इस बात का विवेचन करे कि वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त करना चाहिए अथवा नहीं ना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 7275 / 2016 / चुरू** **नत्थूराम व अन्य बनाम जुहाराराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि रिसीवर नियुक्ति के उपचार को कठोर उपचार बताकर निवेदन को दरकिनार करना चाहिए। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2016 को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किए जाने का आदेश प्रदान करावें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है। अप्रार्थी द्वारा सहायक कलेक्टर, सुजानगढ़ के आदेश दिनांक 12.6.2007 के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो इस आधार पर खारिज किया गया कि वादग्रस्त भूमि का दिनांक 18.6.2007 को रिसीवर नियुक्त हो जाने से अप्रार्थी जुहाराराम का कब्जा नहीं है। तत्पश्चात् अप्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पेश किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.7. 2015 द्वारा रिसीवरी आदेश दिनांक 18.6.2007 को निरस्त कर दिया जिसकी पालना में उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 10.08.2015 द्वारा विवादित भूमि को कुर्की आदेश से मुक्त कर कब्जा फर्द कुर्की दिनांक 19.6.2007 के अनुसार जिस पक्षकार से लिया था उसे सौपें जाने का आदेश पारित किया जिसकी पालना में रिसीवर अधिकारी, थाना अधिकारी, पुलिस थाना, सालासर एवं रिसीवर तहसीलदार सुजानगढ़ ने वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 जुहाराराम को कब्जा दिनांक 12.08.2015 को सोप दिया था तब से वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 काबिज होकर काश्त कर रहा है । कानूनन काबिज खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । विवादित आराजियात बाबत् वाद विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है किन्तु प्रार्थीगण गलत अंकन के आधार पर दर्ज वादग्रस्त आरायिजात को अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है। इन्हीं समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलीय न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे। हमनें विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/7275/2016/चुरू** **नत्थूराम व अन्य बनाम जुहाराराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पृथक–पृथक तीन वाद एवं उनके संलग्न तीन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र क्रमशः राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1/06 बउनवान जुहाराराम बनाम श्रीमती केशरदेवी व अन्य, प्रार्थना पत्र संख्या 7/05 पन्नालाल बनाम जुहाराराम व अन्य एवं प्रार्थना पत्र संख्या 64/2005 श्रीमती केशर देवी बनाम जुहाराराम पेश किये गये थे । वादी/अप्रार्थी जुहाराराम द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष तीनों वादों को समेकित किए जाने का प्रार्थना पत्र पेश किए जाने पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.8.2015 को तीनों वादों को समेकित किए जाने के आदेश पारित किए जाने के आदेश पारित किए गए । विचारण न्यायालय ने उक्त तीनों राजस्व प्रार्थना पत्रों को समेकित कर उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 12.06.2007 को निम्न आदेश पारित किए कि– **"अतः तीनों पत्रावलियों का इस प्रकार से निर्णय किया जाता है कि ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त खेत रोही सालासर में पक्षकार (वादग्रस्त खसरेजात के खातेदार) जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार व कब्जे में एक दूसरे की कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करेंगे, यथास्थिति बनाये रखेंगे । ग्राम गुडावड़ी की रोही में स्थित वादग्रस्त खसरेजात के संबंध में जुहाराराम (प्रा.पत्र सं. 64/2005 का अप्रार्थी) को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि ताफैसला मूल वाद उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, हस्तातंरण, बेदखली आदि नही करे व यथास्थिति बनाये रखी जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो।"** विचारण न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील किए जाने पर अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी/अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अपने आदेश दिनांक 23.7.2007 द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादग्रस्त भूमि को दिनांक 18.6.2007 रिसीवर नियुक्त किया जा चुका है । रिसीवरी आदेश दिनांक 18.6.2007 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पेश किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 16.07.2015 द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 7275 / 2016 / चुरू** **नत्थूराम व अन्य बनाम जुहाराराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रिसीवरी आदेश दिनांक 18.6.2007 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किए । माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों की पालना में उपखण्ड अधिकार, सुजानगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 10.8.2015 को वादग्रस्त भूमि को कुर्की से मुक्त कर कब्जा फर्द कुर्की दिनांक 19.6.2007 के अनुसार जिस पक्षकार से लिया था उसे सौंपे जाने के आदेश प्रदान किए जिसकी पालना में रिसीवरी अधिकारी, थाना अधिकारी, पुलिस थाना, सालासर व रिसीवर तहसीलदार, सुजानगढ़ ने प्रार्थी जुहाराराम को खेत का कब्जा दिनांक 12.08.2015 को सौंप दिया । तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 / अपीलांट ने विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 12.06.2007 के विरूद्ध न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर वादग्रस्त आराजियात बाबत् ताफैसला अपील अप्रार्थीगण को इस निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया । उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलीय न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 16.8.2016 को निम्न आदेश पारित किए कि–**"अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट / प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायहित में आदेश दिये जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम सालासर खसरा नंबर 86, 177, 191, 221, 212, 291, 311 एवं ग्राम गुडावड़ी के खसरा नंबर 243, 276, 282, 301 एवं 299 को उभयपक्ष अपील के निस्तारण तक रहन, विक्रय, मुंतकिल आदि से किसी प्रकार हस्तांतरण नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र फैसल शुमार किया जाकर शामिल अपील किया जावें।"** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीन है जिसमें उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की वैधता को देखा जाना है । अपील के विचाराधीन रहते विवादित आराजियात को सरंक्षित किया जाना विधिसम्मत् है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विवादित आराजियात बाबत् स्थगन आदेश पारित किया गया है जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 7275 / 2016 / चुरू** **नत्थूराम व अन्य बनाम जुहाराराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उनके न्यायालय में विचाराधीन मूल अपील में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपील का दो माह में आवश्यक रूप से निस्तारण करना सुनिश्चित करावें । पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामदयाल मीणा)** **सदस्य**	